

प्रेषक,

संख्या 51 / VI-3 / 2023-30(16) / 2022

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

खेल निदेशालय,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 27 जनवरी, 2023

विषय: मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-350/2022 "खिलाड़ियों के दैनिक मानदेय प्रतिदिन रू0 175/- से बढ़ाकर रू0 275/- किया जायेगा" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1280/घो0पत्रा0/2021-22, दिनांक 11 अक्टूबर, 2022, पत्र संख्या-1395/घो0पत्रा0/2021-22, दिनांक 02 नवम्बर, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-08/VI-3/2022-30(09)/2021, दिनांक 24 मई, 2022 द्वारा भोजन भत्ते की निर्धारित/स्वीकृत दर रू0 175/- प्रतिछात्र/प्रतिदिन से रू0 225/- प्रतिछात्र/प्रतिदिन, को संशोधित करते हुए वर्तमान में खेल विभाग द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों/सदस्यों/ऑफिशियल/निर्णायकों का दैनिक मानदेय/भोजन भत्ता रू0 250/- (रू. दो सौ पचास मात्र) प्रतिदिन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24 मई, 2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के E-Office ID Number-I/92139/2023, Dated 18 Jan, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Deependra Kumar
Chaudhari

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)

सचिव।

गोपक,

गोकर्ण सिंह रावत,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 05 जुलाई, 2024

विषय: उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ता रू0 250.00 से बढ़ाकर भारतीय खेल प्राधिकरण की भाँति रू0 480.00 प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी किया जायेगा, संबंधी विकास कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-02/घो0सं0350पत्रा0/2023-24, दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर सुस्पष्ट सूचना शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

1. खिलाड़ियों का दैनिक भोजन भत्ते में अन्तिम बार वृद्धि कब की गई थी?
2. पुनः वृद्धि किए जाने का औचित्य एवं आधार क्या है?
3. प्रस्तावित दरें किस श्रेणी की खेल प्रतियोगिताओं/प्रशिक्षण शिविरों एवं खिलाड़ियों को अनुमन्य होंगी?
4. प्रस्तावित दरों के अनुसार भत्ते की दरों में वृद्धि के फलस्वरूप आने वाला सम्भावित वित्तीय भार।

भवदीय,

Signed by Gokarn Singh

Rawat

Date: 05-07-2024 13:12:47

(गोकर्ण सिंह रावत)

अनु सचिव।

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार सोनकर,

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

खेल निदेशालय,

उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 10 मार्च, 2023

विषय: मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-350/2022 के क्रियान्वयन/पूर्ति के संबंध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-54/VI-3/2023-30(16)/2022, दिनांक 27 जनवरी, 2023 द्वारा पूर्व प्रचलित भोजन भत्ते की निर्धारित/स्वीकृत दर रु0 175/- प्रतिछात्र/प्रतिदिन से रु0 225/- प्रतिछात्र/प्रतिदिन, को खेल विभाग द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों/सदस्यों/ऑफिशियल/निर्णायकों का दैनिक मानदेय/भोजन भत्ता रु0 250/- (रु. दो सौ पचास मात्र) प्रतिदिन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 27 जनवरी, 2023 के प्रथम प्रस्तर की छठी पंक्ति में खेल विभाग के अन्तर्गत संचालित क्रीड़ा छात्रावासों एवं स्पोर्ट्स कॉलेजों के साथ ही, को टंकण त्रुटिवश उल्लिखित किया जाना अवशेष रह गया था, तदनुसार उक्त पंक्ति में खेल विभाग द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों/सदस्यों/ऑफिशियल/निर्णायकों का दैनिक मानदेय/भोजन भत्ता रु0 250/- (रु. दो सौ पचास मात्र) प्रतिदिन किये जाने की स्वीकृति के स्थान पर खेल विभाग के अन्तर्गत संचालित क्रीड़ा छात्रावासों एवं स्पोर्ट्स कॉलेजों के साथ ही खेल विभाग द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों/सदस्यों/ऑफिशियल/निर्णायकों का दैनिक मानदेय/भोजन भत्ता रु0 250/- (रु. दो सौ पचास मात्र), पढ़ा जाय।

3- उपरोक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-54/VI-3/2023-30(16)/2022, दिनांक 27 जनवरी, 2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4- यह आदेश वित्त विभाग के E-Office ID Number- I/102683/2023, Dated 27 Feb, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Signed by जितेन्द्र कुमार
Sonkar
Date: 10-03-2023 16:18:10

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
अपर सचिव।

संख्या 54 / VI-3 / 2023-30(16) / 2022

प्रेषक,

दीपेन्द्र कुमार चौधरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 27 जनवरी, 2023

विषय: मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-350/2022 "खिलाड़ियों के दैनिक मानदेय प्रतिदिन रू0 175/- से बढ़ाकर रू0 275/- किया जायेगा" के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1280/घो0पत्रा0/2021-22, दिनांक 11 अक्टूबर, 2022, पत्र संख्या-1395/घो0पत्रा0/2021-22, दिनांक 02 नवम्बर, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-08/VI-3/2022-30(09)/2021, दिनांक 24 मई, 2022 द्वारा भोजन भत्ते की निर्धारित/स्वीकृत दर रू0 175/- प्रतिछात्र/प्रतिदिन से रू0 225/- प्रतिछात्र/प्रतिदिन, को संशोधित करते हुए वर्तमान में खेल विभाग द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों/सदस्यों/ऑफिशियल/निर्णायकों का दैनिक मानदेय/भोजन भत्ता रू0 250/- (रू. दौ सौ पचास मात्र) प्रतिदिन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24 मई, 2022 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की अन्य शर्तें/प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के E-Office ID Number-I/92139/2023, Dated 18 Jan, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
Signed by Deependra Kumar
Chaudhari
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।